भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 99

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2

99. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (एनएपीएस-2) के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या तथा पंजीकरण के पश्चात् कम से कम एक प्रशिक्षु को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या एनईआर में एनएपीएस-2 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठानों में से एक-तिहाई से भी कम प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण के पश्चात् कम से कम एक प्रशिक्षु को नियोजित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऐसे जिलों की संख्या का ब्योरा क्या है, जहां से कोई प्रशिक्षु नहीं है;

(घ) क्या सरकार ने एनईआर से एनएपीएस-2 को पूरा होने से पहले छोड़ने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या का मूल्यांकन किया है, यदि हां, तो राज्य-वार ब्योरा क्या है, तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार प्रशिक्षुता अवधि पूरी होने के पश्चात् नियोक्ताओं द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या संबंधी डाटा रखती है, यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इसका ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का उद्देश्य शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके अंतर्गत नियमों के तहत नियोजित प्रशिक्षुओं को आंशिक वृत्तिका सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। इस स्कीम को 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखने के लिए बढ़ा दिया गया था। पोर्टल पर पंजीकृत एनईआर के प्रतिष्ठानों की संख्या 2,636 है। इनमें से लगभग 855 प्रतिष्ठानों ने कम से कम एक शिक्षु को नियुक्त किया है, जो लगभग एक तिहाई (32.44%) है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि प्रतिष्ठान भले ही पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उनमें से अधिकांश छोटे प्रकृति के हैं और शिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में चुनौतियों का सामना करते हैं।

(ग) एनईआर के कुल 129 जिलों में से 48 जिलों में शिक्षुओं ने पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है। 48 जिलों का राज्य-वार ब्योरा नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1

क्र.सं.	**राज्य**	**उन जिलों की संख्या जिनके प्रशिक्षु पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं**
1.	अरुणाचल प्रदेश	20
2.	असम	4
3.	मणिपुर	4
4.	मेघालय	7
5.	मिज़ोरम	4
6.	नागालैंड	7
7.	सिक्किम	2
	सकल योग	**48**

डेटा स्रोत: https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

(घ) और (ड.) शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, या तो प्रतिष्ठान या शिक्षु, अनुबंध की समाप्ति के लिए संबंधित शिक्षुता सलाहकार से अनुरोध करता है, जो बाद में उसे समाप्त कर देता है। कुल 4,756 शिक्षुता अनुबंध समाप्त कर दिए गए हैं। एनएपीएस के मूल्यांकन अध्ययन के संदर्भ में, अनुबंध समाप्ति के लिए उद्धृत कारणों में उच्च अध्ययन, नियमित नौकरी के अवसर, व्यक्तिगत/चिकित्सा कारण, प्रतिष्ठान का निवास से बहुत दूर होना, शिक्षु प्रतिष्ठान को सूचित किए बिना प्रशिक्षण छोड़ देना, अनुबंध पंजीकृत/अनुमोदित होने के बाद भी शिक्षु का प्रतिष्ठान में दाखिला नहीं लेना शामिल हैं। राज्य-वार विवरण नीचे तालिका-2 में दिया गया है। स्कीम के तहत प्रशिक्षण शिक्षु अधिनियम, 1961 और उसके तहत नियमों द्वारा शासित होता है, जिसमें प्रतिष्ठानों के लिए शिक्षुओं को कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है।

तालिका-2

क्र.सं..	**राज्य**	**अनुबंध समाप्त**
1.	अरुणाचल प्रदेश	4
2.	असम	4,349
3.	मेघालय	82
4.	मिजोरम	2
5.	नागालैंड	2
6.	सिक्किम	202
7.	त्रिपुरा	115
	सकल योग	**4,756**

डेटा स्रोत: https://www.apprenticeshipindia.gov.in/

******